



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश **थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमे का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी 03 प्लास्टिक की कुर्सिया तथा घटना मे प्रयुक्त 01 चोरी की मोटरसाईकिल बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 16.02.2025 को वादी श्री निशान्त शर्मा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय ग्राम रामखेड़ी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा प्राथमिक विद्यालय ग्राम रामखेड़ी के तीन कमरों के ताले तोड़कर एक नयी अलमारी एवं 06 प्लास्टिक की कुर्सी चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 34/25 धारा 331(4)/305(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में 1. सचिन ठाकुर पुत्र रणदीप 2. सुमित उर्फ लिल्ला पुत्र लोहरी 3. मन्नू जोगी पुत्र नीटू निवासी गण ग्राम गदरहेड़ी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर के नाम प्रकाश में आये हैं। दिनांक 18.02.25 को अभियुक्त सुमित उर्फ लिल्ला पुत्र लोहरी उपरोक्त के कब्जे से चोरी की गयी अलमारी बरामद होने के कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/लूट/नकबजनी आदि घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलग्न अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **सचिन ठाकुर पुत्र रणदीप निवासी ग्राम गदरहेड़ी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को फतेहपुर भादों बिजली घर से आगे ईदगाह के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी गयी 03 प्लास्टिक की कुर्सियाँ एवं घटना में प्रयुक्त 01 पल्सर मोटरसाईकिल पल्सर बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 14/15.02.2025 की रात्रि में मैंने अपने साथी सुमित उर्फ लीला व मन्नू जोगी के साथ मिलकर ग्राम रामखेड़ी के सरकारी स्कूल से कमरों की कुण्डी तोड़कर कमरों में अलग अलग रखी एक अलमारी, 04 नई प्लास्टिक की कुर्सी तथा 02 पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी चोरी की थी। चुराये गये सामान को हम तीनों ने आपस में बाँट लिया था मेरे हिस्से में प्लास्टिक की 03 कुर्सी आयी व 03 कुर्सी मन्नू के हिस्से में आयी थी तथा अलमारी को सुमित उर्फ लीला ने लिया था। आज जब मैं 03 प्लास्टिक की कुर्सी को पल्सर मोटरसाईकिल पर रखकर चलते फिरते कबाड़ी को बेचने के लिये खड़ा था कि तभी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। पुलिस ने मुझसे जो मोटरसाईकिल बरामद की है वो मैंने मेरे साथी के साथ मिलकर चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सचिन ठाकुर पुत्र रणदीप निवासी ग्राम गदरहेड़ी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 03 प्लास्टिक की कुर्सीयां
- घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल पल्सर रजि0 नं0 UP11W9077 रंग काला

गिरफ्तार करने लेने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 अनिल तेवतिया थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 प्रवीण कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. का0 2176 श्यामपाल सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर